



झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र सं. वा0 कर/विविध /22/ 2015 2780

राँची, दिनांक 16/7/15

सूचना

एतद द्वारा सूचित करना है कि केन्द्रीय विक्री कर(झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम (5) एवं (10) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' क्रमांक जे0जी/सी-748978 एवं जे0जी/सी-748980 (कुल दो अदद) को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जा चुका है ।

ह0/-

(मुकेश कुमार)

वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक:-वा0 कर/विविध/22/2015 2780

दिनांक 16/7/15

प्रतिलिपि:-सभी राज्यों/U.T को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त
झारखण्ड, राँची